जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय), जोधपुर

Web Copy - Not Official

अधिष्ठित : डॉ. श्याम सुन्दर लाटा — अध्यक्ष

सुश्री अफसाना खान — सदस्या

उपभोक्ता शिकायत संख्या — 131/2022

(प्रस्तुत करने की दिनांक — 22.03.2022)

रामदास पुत्र श्री पवनदास, निवासी ई–80, यू.आई.टी. कॉलोनी, प्रताप नगर, जोधपुर।

— परिवादी

बनाम

यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. जरिये प्रबन्धक, मोटर ओ.डी. सर्विस हब, मैन पाल रोड़, जोधपुर।

— विपक्षी

उपस्थितः—

1. श्री महिपाल चौधरी, अधिवक्ता वास्ते परिवादी।
2. श्री सुनील व्यास, अधिवक्ता वास्ते विपक्षी।

परिवाद अन्तर्गत धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019

—:: निर्णय ::— दिनांकः 22—12—2023

परिवादी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध परिवाद इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया कि परिवादी ने अपने वाहन कार फोर्ड–फीगो संख्या आर.जे. 19 सी.डी. 0716 का विपक्षी बीमा कम्पनी से बीमा करवाया हुआ था। बीमा–अवधि के दौरान दिनांक 09.04.2021 को परिवादी का पुत्र अशोक अपने मित्र शक्तिसिंह के साथ सुरपुरा बांध से वापस आते समय घोड़ा–घाटी रावटी के पास सांय करीब 6:30 बजे उक्त कार अचानक बन्द हो गई। इसे स्टार्ट करने का काफी प्रयास किये जाने के बावजूद कार चालू नहीं हुई। लॉकडाउन के कारण पाबंदिया व कर्फ्यू होने से पुलिसकर्मियों ने वहां आकर कर्फ्यू का टाईम होने से गाड़ी वहां खड़ी करके शीघ्र ही निकलने के लिए कहा। मौके पर मैकेनिक आदि मिलना भी सम्भव नहीं था। जिसके कारण परिवादी के पुत्र ने रोड़ के किनारे श्री जितेन्द्र सिंह भाटी के मकान के पास सुरक्षित अवस्था में वाहन को खड़ा कर उसका लॉक लगाकर चाबी अपने पास रख ली। दूसरे दिन सुबह 08:00 बजे परिवादी का पुत्र उक्त स्थल पर आकर देखने पर कार वहां नहीं थी। पूछताछ के बावजूद वाहन का पता नहीं चलने पर चोरी की सूचना पुलिस थाना सूरसागर में उसी रोज दे दी। लेकिन पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट दिनांक 13.04.2021 को दर्ज की गई। विपक्षी बीमा कम्पनी को भी ई–मेल से सूचना दी गयी। विपक्षी बीमा कम्पनी को क्लेम प्रस्तुत किये जाने पर इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वाहन को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इस प्रकार क्लेम नाजायज रूप से खारिज कर सेवा में त्रुटि का अभिकथन कर

वाहन की राशि 3,00,000 रूपये तथा क्षतिपूर्ति, परिवाद–व्यय आदि दिलवाने के लिए अनुतोष चाहा गया।

विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि बीमाधारी द्वारा वाहन को सुनसान जगह पर बिना अटेण्डेट के रात भर लावारिस हालत में छोड़ दिया तथा पुलिस व बीमा कम्पनी को चोरी की सूचना देरीना दी है, जो बीमा शर्तो का उल्लघंन होने से क्लेम देय नहीं है। इस प्रकार परिवाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकरण में अवधार्य विषयों के संबंध में आयोग का निष्कर्ष एवं विनिश्चय इस प्रकार है :–

परिवादी द्वारा अपने वाहन के बाबत् प्रस्तुत क्लेम विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम खण्डन–पत्र दिनांक 31.08.2021 द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि परिवादी द्वारा चोरी की सूचना पुलिस को तथा बीमा कम्पनी को अत्यधिक विलम्ब से दी जाकर पॉलिसी की शर्त संख्या 01 का उल्लघंन किया गया है। इसी प्रकार वाहन को बिना किसी निगरानी के असुरक्षित हालत में रोड़ पर खड़ा किया जाकर शर्त संख्या 05 का उल्लघंन किया गया है।

परिवादी ने लॉकडाउन की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए मजबूरीवश, खराब हो जाने के कारण वाहन जितेन्द्र सिंह भाटी के मकान के पास उनकी निगरानी में खड़ा किये जाने का कथन किया है। यद्यपि वाहन दिनांक 09.04.2021 को चोरी होने के बाद पुलिस में दिनांक 13.04.2021 को प्रथम सूचना दर्ज होना तथा विपक्षी बीमा कम्पनी के यहां भी विलम्ब से दिनांक 19.04.2021 को सूचना दिया जाना पाया जाता है, जो बीमा शर्तों का उल्लघंन होना प्रगट होता है, तथापि मात्र बीमा शर्तों का उल्लंघन होने के आधार पर बीमा कम्पनी को क्लेम पूर्णतः खारिज किये जाने का अधिकार नहीं हो सकता है। बल्कि माननीय **उच्चतम न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी बनाम नितिन खण्डेलवाल सी.पी.जे 2006 (2) 1 तथा अमलेन्दु शाहु बनाम ऑरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी सी.पी.जे. 2010 (2) 9** के न्यायिक दृष्टांतों में अभिनिर्धारित सिद्धांत के अनुसार ऐसे मामलों में नॉन–स्टेण्डर्ड क्लेम दिलवाया जाना चाहिए।

परिवादी द्वारा पॉलिसी या कवर नोट पेश नहीं होने से बीमा घोषित मूल्य प्रगट नहीं है, यद्यपि बीमा करवाना स्वीकृत तथ्य है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से सम्बल प्राप्त करते हुए परिवादी को नॉन–स्टेण्डर्ड आधार पर वाहन के बीमा घोषित मूल्य (आई.डी.वी.) की 75 प्रतिशत राशि क्लेम के तौर पर दिलवाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इसके अतिरिक्त विपक्षी के सेवा–दोष के फलस्वरूप परिवादी को शारीरिक एवं मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित पांच हजार रूपये तथा

परिवाद–व्यय के निमित भी पांच हजार रूपये की राशि दिलवाया जाना उचित है। इस प्रकार परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः परिवादी रामदास द्वारा विपक्षी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाकर विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को वाहन क्लेम के निमित वाहन के बीमा–घोषित मूल्य की 75 प्रतिशत राशि तथा उक्त राशि पर परिवाद प्रस्तुत किये जाने से वास्तविक भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज सहित राशि का भुगतान दो माह में करे। परिवादी क्षतिपूर्ति एवं परिवाद–व्यय के निमित विपक्षी से दस हजार रूपये भी प्राप्त करने का अधिकारी है।

निर्णय आज दिनांक 22/12/2023 को विवृत्त आयोग सुनाया गया।

(सुश्री अफसाना खान)
सदस्या

(डॉ. श्यामसुन्दर लाटा)
अध्यक्ष

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर (द्वितीय)
Web Copy - Not Official